30

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1523—चार/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—10—08 के द्वारा न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 340/अपील/07—08

.....

विशेशर तनय गौरी कुर्मवंशी
निवासी ग्राम सहिजना उवारी तहसील
उचैहरा जिला— सतना म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1.श्यामलाल तनय गौरी कुर्मवंशी
2.श्याम सुन्दर तनय गौरी कुर्मवंशी
दोनो निवासी ग्राम सहिजना उवारी
तहसील उचैहरा जिला सतना म0प्र0
3.श्रीमती मुन्नी पुत्री गौरी कुर्मवंशी
4.शकुन्तला पुत्री गौरी कुर्मवंशी
5.सुन्दरिया पुत्री गौरी कुर्मवंशी
6.रामानुज तनय परमेश्वरदीन
7.संतोष तनय परमेश्वरदीन
8.गीता पुत्री परमेश्वरदीन
9.पान्नवूटी पुत्री परमेश्वरदीन
10.सावित्री पुत्री परमेश्वरदीन
11.लीला पुत्री परमेश्वरदीन
सभी निवासी ग्राम अमदरी तहसील
उचैहरा जिला—सतना म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी , अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 21-12-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 25.10.08 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उत्तरवादी क–1 के द्वारा विचारण न्यायालय में सहिता की धारा 178/110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जहां पर तहसीलदार के द्वारा दिनांक 31.10.07 को बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी नागौद जिला सतना के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो उनके द्वारा दिनांक 8.5.08 को अपील निरस्त की गई इससे दुखित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 25.10.08 को अपील स्वीकार की गई, इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/–उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ के तर्क सुने गये। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि आवेदक विवादित आराजी की भूमिस्वामी है, इसलिए बटवारा कराने का कोई अधिकार नही है, तथा यह भी प्रमाणिक नही किया गया कि विवादित आराजी पैतृक है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष पूर्णतः गलत है, क्यो कि उत्तरवादी क–2 भ श्यामलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि हम सभी भाई –बहनो का 1/7 हिस्सा होता है तथा बहनो का हिस्सा दिये जाने में हमें कोई आपत्ति नही है क्यो कि वही अपने पिता की

संपत्ति पर हिस्सा ले रही है, तथा दूसरे साक्षी ने भी इसी साक्ष्य को दोहराया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी पैतृक आराजिया है और अनावेदकगण ने स्वतः स्वीकार किया है कि आवेदकगण को हिस्सा विवावित आराजीया पर होता इसलिये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विधिसम्मत तरीके से विचार किया जाना चहिये था, लेकिन दोनो अधीनस्थ न्यायालयो ने प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार न करते हुये आदेश पारित करने की भूल की है यही निष्कर्ष अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में निकाला गया है, जिससे में मैं पूर्ण सहमत हूॅ। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

5/– उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 340/अपील/07–08 में पारित आदेश दिनांक 25.10.08 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर